14.6.18 | पत्रावली न्याय आपके द्वार-2018 में अटल सेवा केन्द्र श्रीरामपुरा पेश हुई। वादी उपस्थित है। मजमें आम में वादी को एवं उपस्थित जन को सुना गया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, वादी ने अपना जन्म वर्ष 1963 में होना बताया है और आवंटन दि० 27-11-64 को हुआ है इस प्रकार 1 वर्ष के बच्चे को आवंटन होकर न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। प्रश्नगत आराजी आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 27-11-64 को किया गया है वादी द्वारा जिन कारणों से दुरुस्ती चाही गई है मुताबिक रिकार्ड साबित नहीं होती है। प्रकरण को आदेश नाव सं० 66 दि० 1-12-64 से रिकार्ड में अमल किया गया। तह० फुलेरा वादग्रस्त आराजी के आवंटन के पत्रादि का परीक्षण कर इस खबर की पुष्टी की जी आवंटन दि० 27-11-64 को प्रकरण पुनः इसी

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	ग्राम सिरोही खुर्द में था या नहीं यदि हरकरण पुत्र हरजी नाम का व्यक्ति नहीं होना पाया जावे तो उक्त आवंटन को नियम 14(4) के तहत कार्यवाही प्रस्तावित करें। वादी का वाद उपरोक्त विवेचन के आधार पर खारिज योग्य होने से खारिज किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से जमा हो। आदेश खुले में आज में सुनाया गया।
	उप खण्ड अधिकारी साँभर लेक

Scanned by CamScanner